न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –73 / 2022

अनवान : –

1. फकीरचन्द पुत्र नत्थुराम जाति कुम्हार निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :–श्रीमदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांक: 30/03/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया किरोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के साबिका ख.न. 134 2. मीन की तादादी 25 बीघा मु. नत्थूराम पुत्र कानाराम की सन् 1956 से आलोट शुदा भूमि है उक्त भूमि पूर्व में आराजी राज काबिल काश्त थी जिसे नत्थूराम ने काबिल काश्त किया था और उक्त भूमि का वे लगान अदा करते रहे थे और वे उक्त भूमि के अलाट शुदा गैर खातेदार काश्तकार थे।

नत्थूराम का देहान्त हो गया नत्थूराम के सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के अलावा एक पुत्र ओमप्रकाश है सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण वाद भूमि को काश्त करते रहे है ओमप्रकाश दलपतपुरा की सकूनत छोड़कर कही अन्यत्र चला गया अब भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है तथा सायल की माता मु. नाथी फौत हो चुकी है।भू–प्रबन्धक विभाग के द्वारा साबिका ख.न. 134 मीन के हाल ख.न. 510 की 25 बीघा में पैमूद किये गये दाद भूमि के उतर में श्यामलाल, दक्षिण में बद्री व लेखू जाट पूर्व में सड़क नोहर साहवा पश्चिम में सुलतान व बद्री 4. जाट के खेत है उक्त ख.न. 510 के बनी भूमि के साथ ही भू–प्रबन्धक विभाग के द्वारा मिसल बन्दोबस्त सम्बत 2029 ता 2038 में कतई अनुचित व अवेध तथा मनमाने तौर से अलावा जोत नाकाबिल काश्त चारागाह दर्ज कर दिया गया जो अनुचित व अवैध तथा मनमाने तौर से अलावा जोप्त नाकाबिल काश्त चारागाह दर्ज कर दिया गया है जिससे सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण का हकुक का हनन होता है। और वादी उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है साबिका ख. न. 134 मीन की ना तो चारागाह भूमि थी और ना ही गैर मुमकिन ब्लकि काबिल काश्त व मुमकीन भूमि थी तर्था सम्बत 2012 यानि सन् 1955 में नत्थूराम के नाम सहबन से काश्त दर्ज न होने के कारण सम्बत 2013 को आवंटन कर दी गई थी तथा वाद भूमि नत्थूराम वल्द कानाराम काननू खातेदार काश्तकार थे जिसे भू–प्रबन्धक विभाग को अलावा जोत नाकाबिल काश्त चारागाह भूमि दर्ज करने का किसी प्रकार कोई हक व अधिकार नहीं है [illegible] गलत व अवैध इन्द्राजात से उत्साहित होकर गैरसायल स्टेट सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहते है। इसलिए सायल न्यायालय हाजा में एक वाद पेश किया जो दिनांक 09/12/2002 को खारीज हो गया जिसके विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपीलार्थी की जो अपील सं. 164/2002 बअनवानी नाथी बनाम सरकार दर्ज की जाकर दिनांक 27/08/2003 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

निर्णय पारित किया गया तथा अपील स्वीकार की जाकर दोनो पक्षो को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु न्यायालय हाजा को निर्देशित किया गया है न्यायालय हाजा द्वारा वाद सं. 59/2017 बअनवानी मोहरसिंह व अन्य सरकार आदि दिनांक 15/7/2017 को वाद सायल डिक्री करके रोही मौजा दलपतपुरा के हाल ख.न. 510/2 की 25 बीघा भूमि जो राजस्व रिकार्ड चारागाह दर्ज है के स्थान पर आराजीराज दर्ज करने व भूमि को पुख्ता आवंटित करने के आदेश जारी कर दिये गये जिसके विरूद्ध करने के आदेश जारी कर दिये जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ कैम्प नोहर के समक्ष गोपीराम आदि बनाम मोहरसिंह अपील पेश की गई है अपील सं. 2019/00226 दिनांक 23/03/2022 को खारीज की जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 59/2017 निर्णय दिनांक 15/7/2017 बहाल रख दिया गया।वाद भूमि का डिक्री दिनांक 15/7/2017 प्रकरण सं. 59/2012 बअनवानी मोहरसिंह बनाम स्टेट में पारित निर्णय की पालना में रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के हाल ख.न. 510 की 25 बीघा भूमि चारागाह से आराजी राजी दर्ज करते समय तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा ख.न. 613/510 की 6.3250 हैक्टर भूमि में नामान्तरण दिनांक 04/4/2022 को नामान्तरण सख्या 2584 स्वीकृत कर दिया गया है उक्त भूमि सायल के पिता को सन् 1956 में अपीलान्ट भूमि की है एवं वर्तमान में उक्त भूमि खाता सं. 541/473 के ख.न. 613/510 की 6.3250 हैक्टर भूमि में पैमूद कर दी गई जो नामान्तरण सं. 2584 दिनांक 04/4/2022 से रोशन है।

रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 510/2 की 25 बीघा भूमि को गैरसायल पुख्ता आवंटन होने तक सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को बेदखल ना करे का स्थगन आदेश दिनांक 15/7/2017 के निर्णय में जारी है परन्तु अब उक्त भूमि के खाता सं. 541/473 के ख.न. 613/510 में पैमूद होने व भूमि की किस्म आराजी दर्ज होने पर गैरसायल जबरिया सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को बेदखल करने पर आमादा है तथा वाद भूमि पर सायल व दावा में दर्ज तरतीबी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध तावान / कुर्की आदि की कार्यवाही करने पर आमादा है यदि गैरसायल सं. 1 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाता है ते सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए सायल गैरसायल सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवापाने का मजाज है कि वो सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को वाद भूमि से बेदखल करने से निषिद्ध रहे तथा तावान व कुर्की आदि की कार्यवाही ना करे उपरोक्त आशयों की सायल घोषणा करापाने का अधिकारी है।लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 541/473 के ख. न. 613/510 की 6.3250 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी सं. 1 वादी व प्रतिवादीगण को बेदखल करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा दलपतपुरा के खाता स0 541/473 के ख0न0 613/510 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमिमें अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगणउक्त वाद भूमि के मोका व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बहस [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा द्वारा वाद सं. 59/2017 बअनवानी मोहरसिंह व अन्य सरकार आदि दिनांक 15/7/2017 को वाद वादी डिक्री किया जाकर रोही मौजा दलपतपुरा के हाल ख.न. 510/2 की 25 बीघा भूमि जो राजस्व रिकार्ड चारागाह दर्ज है के स्थान पर आराजीराज दर्ज करने व भूमि को पुख्ता आवंटित करने के आदेश जारी कर दिये गये जिसके विरूद्ध करने के आदेश जारी कर दिये जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ कैम्प नोहर के समक्ष गोपीराम आदि बनाम मोहरसिंह अपील पेश की गई है अपील सं. 2019/00226 दिनांक 23/03/2022 को खारीज की जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 59/2017 निर्णय दिनांक 15/7/2017 बहाल रखा गया

वाद भूमि के सदर्भ में पारित डिक्री दिनांक 15/7/2017 प्रकरण सं. 59/2012 बअनवानी मोहरसिंह बनाम स्टेट में पारित निर्णय की पालना में रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के हाल ख.न. 510 की 25 बीघा भूमि चारागाह से आराजी राजी दर्ज करते समय तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा ख.न. 613/510 की 6.3250 हैक्टर भूमि में नामान्तरण दिनांक 04/4/2022 को नामान्तरण सख्या 2584 स्वीकृत कर दिया गया है उक्त भूमि सायल के पिता को सन् 1956 में अपीलान्ट भूमि की है।

वादी द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 15.07.2017 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि प्रार्थी यानि की फकीरचन्द के पक्ष में दिनांक 15.07.2017 को वाद वादी स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दलपतपुरा के ख0न0 510/2 की 25 बीघा भूमि को चारागाह से आराजी राज दर्ज किया गया है एवं आदेशित किया गया गया है कि उक्त प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति में पुख्ता आवंटन हेतु रखा जावे एवं जब तक आवंटन सलाहकार समिति का निर्णय नही हो जाता तब तक वादीगण को बेदखल नही किया जावे।

वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में ही इसी न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है कि जब तक आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा वाद भूमि के सम्बध में अपना मत विनिश्चय नही कर देती तब तक सायल को वाद भूमि से बेदखल नही किया जावे तथा उक्त आदेश आदिनांक तक प्रभावी है

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के हाल खाता संख्या 541/473 के ख.न. . 613/510 की 6.3250 हैक्टर भूमि के सम्बध में आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा विनिश्चय होने तक सायल को बेदखल /तावान आदि की कार्यवाही करने से निषिद्व रहे एवं यथास्थिति बनाये रखे।पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर